संख्या– /XII/2011/92(06)/2010

प्रेषक,

राजीव चन्द्र,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज अनुभाग **देहरादून** दिनांक 04 अप्रैल ~~मार्च~~, 2011

विषय– **पंचायतीराज विभाग के पंचायतों में लेखा संवर्ग के पदों के संवर्गीय ढ़ांचे के पुर्नगठन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के कार्मिकों की वेतन विसंगति के संबंध में गठित वेतन विसंगति समिति द्वारा की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय हेतु निर्गत परिपत्र संख्या–863/XXVII(7)/न0प्रति/2011 दिनांक 08 मार्च, 2011 के अनुक्रम में जिला पंचायतों में लेखा संवर्ग के पदों पर राजकीय विभाग के लेखा संवर्ग के पदों के समान वेतनमान व संवर्गीय ढॉचा निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित पदों के सम्मुख स्तम्भ–3 में इंगित अपुनरीक्षित वेतनमानों को स्तम्भ–4 के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन रखें जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्र0 सं0	पदनाम	अपुनरीक्षित वेतनमान	उच्चीकृत वेतनमानों के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	
			वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5
1	सहायक लेखाकार	4000–6000	वेतन बैण्ड–1 ₹ 5200–20200	2800
2	लेखाकार	4500–7000	वेतन बैण्ड–2 ₹ 9300–34800	4200

2– उक्तानुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में संबंधित कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–395/Xxvii(7)/2008, दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 तथा तत्क्रम में समय–समय पर निर्गत स्पष्टीकरण आदेश, पंचायती राज अनुभाग के शासनादेश संख्या–338/XII/2008/90(52)/2004, दिनांक 19 मई, 2008 तथा शासनादेश संख्या– 570/XII/2008/90(21)/2009, दिनांक 14 अक्टूबर, 2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

3– जिला पंचायतों में विभागीय/अनुभागीय लेखाकार के पद/संवर्ग को समाप्त किया जाता है।

4– जिला पंचायतों में सहायक लेखाकार के पद पर राजकीय विभागों की भॉति शैक्षिक अर्हता निर्धारित करते हुए इस पद को शत–प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जाने की व्यवस्था की जायेगी, परन्तु मृत संवर्ग घोषित लेखा लिपिक पदो के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत पदधारकों की सहायक लेखाकार के पद पर पदोन्नति की व्यवस्था पूर्व की भॉति रखी जायेगी। जब तक की लेखा लिपिक के वर्तमान समस्त पदधारक प्रोन्नत न हो जाये। द्वितीय श्रेणी लिपिकों को लिपिकीय संवर्ग में ही प्रोन्नति दी जायेगी।

5– जिला पंचायतों में लेखाकार के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान होने के दृष्टिगत सहायक लेखाकार से लेखाकार के पद पर पदोन्नति की व्यवस्था हेतु लेखाकार के पदों पर पदोन्नति मौलिक आधार पर नियुक्त ऐसे सहायक लेखाकारों से की जायेगी, जिन्होंने इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और लेखाकार परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

कुछ जिला पंचायतों में केवल लेखागार के पद है और उसे भविष्य में सीधी भर्ती सहायक लेखाकार के पद से ही की जायेगी, की व्यवस्था को देखते हुए ऐसी जिला पंचायतें जिनमें केवल लेखाकार के पद है, में पद रिक्त होने पर सहायक लेखाकार के पद की रिक्ति मानते हुए सीधी भर्ती सहायक लेखाकार के पद पर ही जायेगी। उक्त पदों हेतु निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों की प्रति प्रर्ति पर संबंधित पदधारकों को पद सहित लेखाकार के पद पर पदोन्नत किया जायेगा।

7— उपर्युक्त संस्तुतियों को लागू किये जाने की दशा में आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को जिला पंचायतों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा और इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई धनराशि नही दी जायेगी और न ही जिला पंचायतों द्वारा इसकी मॉग की जायेगी।

8— जिला पंचायतों में अन्य केन्द्रीयत सेवाओं की भॅाति लेखा संवर्ग का राज्य स्तरीय संवर्ग राजकीय विभागों के समान बनाया जायेगा।

9— उपर्युक्त तालिका के उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेगी।

10— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या—4591/XXVII(7)/2010 दिनांक 25 मार्च, 2011 में दी गयी उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजीव चन्द्र)
सचिव।

संख्या— 190 (1)/XII/2010/92(06)/2010 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार, ओबेराय बिल्डिंग सहारनपुर रोड, देहरादून।
2— आयुक्त गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3— निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
4— संयुक्त निदेशक, पंचायत प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड देहरादून।
5— समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
6— वित्त अनुभाग—7, उत्तराखण्ड शासन।
7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ई०ए० [illegible])
अप